इसे वेबसाईट **www.govtpress.mp.gov. in**
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 13] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 27 मार्च 2026—चैत्र 6, शक 1948

भाग ४

विषय-सूची

(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक.
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम.
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अन्तिम नियम.

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अंतिम नियम

श्रम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 मार्च 2026

क्रमांकI/903345/2026 कारखाना अधिनियम, **1948 (1948** का **63)** की धारा **41-** बी और धारा **112** द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश कंट्रोल ऑफ इंडस्ट्रीयल मेजर एक्सीडेंट हेजार्ड नियम, **1999** में, जो उक्त अधिनियम की धारा **115** द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार पूर्व में प्रकाशन किया जा चुका है, निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त नियमों में-

1 अनुसूची में, भाग- दो खतरनाक रसायनों की सूची में अनुक्रमांक 432 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां जोड़ी जाए, अर्थात्:-

क्रमांक संख्या	रसायन के नाम
(1)	(2)
"433.	बारूद या आतिशबाजी।"

अनुसूची - के पश्चात निम्नलिखित पादटिप्पण जोड़ी जाए, अर्थात:-

पादटिप्पण: "बारूद या आतिशबाजी" के क्रमश: वही अर्थ होगें, जैया कि विस्फोटक नियम, 2008 के नियम 2 में उनके लिए समनुदेशित किए गए है।"

3. अनुसूची -3 में:-

(1) भाग 1- नामोदिष्ट रसायन में, अनुक्रमांक 179 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां जोड़ी जाए, अर्थात्:-

क्रमांक	रसायन	मात्रा		सी.ए.एस. सख्या
		नियम 5, 7 से 9 तथा 13 से 15 के अनुप्रयोग के लिये	नियम 10 से 12 के अनुप्रयोग के लिये	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"180	बारूद या आतिशबादी या दोनों	01 किलोग्राम	15 किलोग्राम	-

(2) पादटिप्पण में, पादटिप्पण (2) के पश्चात निम्न पादटिप्पण (3) जोड़ी जाए, अर्थात्:-

(3) "बारूद" या "आतिशबाजी" के क्रमश: वही होंगे, जैसे कि विस्फोटक नियम, 2008 के नियम 2 में उनके लिए समनुदेशित किए गए है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय कुमार, अपर सचिव.

Bhopal, the 24th March 2026

No.I/903341/2026 In exercise of the powers conferred by section 41-B and Section 112 of the Factories Act, 1948 (No. 63 of 1948), the Government, herby, makes the following amendments in the Madhya Pradesh Control of Industrial Major Accident Hazards Rules, 1999, the same having been previously published as required by Section 115 of the said Act, namely:-

AMENDMENT

In the said rules-

1. In Schedule-1, in Part-II-List of HAZARDOUS CHEMICALS, after Serial number 432 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be added, namely:-

Sl.NO.	Name of Chemical
(1)	(2)
"433	GUN POWDER OR FIREWORKS"

2. After Schedule - 1, the following Footnote shall be added, namely:-

"Footnote "Gunpowder" and "Fireworks" shall have the same meanings respectively, as assigned to them in rule 2 of The Explosive Rules, 2008."

3. In Schedule - 3,

(1) In Part-1, NAMED CHEMICALS, after serial number 179 and entries relating thereto, the following serial number and entries thereto shall be added, namely :-

Sl.NO.	Chemical	Quantity for application or Ruels		CAS Number
		5,7 to 9&13 to 15	10 to 12	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
180.	Gun powder or Fireworks or both	01 kg	15kg	-

(2) In Footnotes, after footnote (2), the following footnote shall be added, namely:-

"(3)"Gunpowder" and Fireworks" shall have the same meanings respectively, as assigned to them in rule 2 of The Explosive Rule, 2008."

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SANJAY KUMAR, Addl. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2026.